न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 211/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/206)

निर्णय दिनांकः– 11-12-25

1. रामकिशन पुत्र श्री बीरबल राम जाति कुम्हार निवासी चक 3 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाषचंद जालप, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 27–09–2023 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजूवाला में चक 2 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 215/31 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न किय थे। अपीलांट को चक 2 ए.एम. के मुरब्बा नं. 215/31 के किला नं. 1 ता 12 की कुल 12.00 बीघा भूमि विशेष आवंटन मे स्वीकार किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने कई बार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर के कार्यालय एवं तहसील खाजूवाला मे अपने द्वारा किये गये आवेदन के संबंध में सुचना चाही परन्तु इन कार्यालयों से अपीलार्थी को कोई संतोषजनक जवाब नही मिला। तत्पश्चात् अपीलांट ने उक्त आवेदन के संबंध में जानकारी चाही तब उन्हे ज्ञात हुआ कि तहसील खाजूवाला वर्तमान मे उपनिवेशन से रेवेन्यू में आ चुका है। अपीलार्थी ने स्वयं द्वारा किये गये आवेदन पर हुई कार्यवाही की नकल प्राप्त करने के लिये अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 01.04.2024 को आवेदन किया। दिनांक 02.04.2024 को नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा की गई कृषि भूमि का आवेदन उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित नही आने के कारण दिनांक 27.09.2023 को खारिज कर दिया गया। अपीलांट का आवेदन खारिज किये जाने से पूर्व उन्हे किसी प्रकार की सूचना या नोटिस अपीलार्थी को तामिल नही हुआ। इस प्रकार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर द्वारा आवेदन की गई कृषि भूमि का आवेदन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित नही हाने के कारण दिनांक 27.09.2023 को खारिज कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलार्थी को न सुनकर एक तरफा की गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नही है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील खाजूवाला के चक 2 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 215/31 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मुरब्बा नम्बर 215/31 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु कुल 2 आवेदन प्राप्त हुए। दोनो आवेदको की वरियता समान होने के कारण आपसी सहमति से अपीलांट एवं अन्य आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र धर्मचंद द्वारा किला नम्बर 1 ता 12 अपीलांट रामकिशन को तथा 13 ता 25 नरेन्द्र कुमार को आवंटन करने की इस्तदुआ की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो की सहमति के आधार पर अपीलांट के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए चक 2 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 215/31 के चक 1 ता 12 की कुल 12 बीघा भूमि के लिए आवेदन स्वीकार किया गया।

उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला स्थानान्तरित होने पर दिनांक 28–07–2023 को पुनः पेशी में ली गई। तथा आवेदक को नोटिस जारी कर पत्रावली में आगामी पेशी निर्धारित की गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 27–09–2023 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी/अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित/अतः अदम साक्ष्य सबूत अदम हाजरी में खारिज की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पुर्णतया सही चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का आवेदन खारिज ना हुआ हो, प्रश्नगत भूमि यदि आराजीराज हो, अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर